उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 2560–पें0एवंआर0–28/पाकालि/11–60–पी/98टी0सी0(विविध) दिनांक : 03 सितम्बर, 2011

समस्त आहरण वितरण इकाई/
समस्त पेंशन वितरण इकाई/
समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय।
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/
वितरण निगम लि0/ट्रांसको/केस्को।

परिपत्र

विषयः– उच्चीकृत तृतीय समयवद्ध वेतनमानों में परिकल्पित वेतन निर्धारण के उपरान्त संशोधित पी0पी0ओ0 निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं वितरण कम्पनियों तथा ट्रांसकों के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को कारपोरेशन के आदेश सं0–981–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2010 दिनांक 14.08.10 सपठित आदेश सं0–1094–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2010 दिनांक 01.09.10 के अनुसार तृतीय समयवद्ध के उच्चीकरण का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण एवं पेंशन वितरण इकाईयों को निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैः–

1. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को सेवापुस्तिका अभिरक्षण वाले खण्ड/कार्यालय के द्वारा अनुमन्य तृतीय समयवद्ध वेतनमान–निर्धारण करने के पश्चात सेवा पुस्तिका सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।
2. सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा–कार्यालय उक्तानुसार प्राप्त वेतन–निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका का परीक्षण कर विधीक्षा करते हुये तदनुसार पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करेंगें जिससे पेंशन वितरण इकाई के द्वारा तद्नुसार पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को किया जा सके।
3. यथासंज्ञानित पेंशन वितरण इकाई को सम्बन्धित खंडों द्वारा सीधे वेतन–निर्धारण सूचित किये जाने की प्रकिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाना अनिवार्य होगा।

निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

संख्या : 2560 (1)पें0एवंआर0–28/पाकालि0/11 तददिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/कानपुर।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), विद्युत वितरण निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता (ई एण्ड एम), पेंशन वितरण इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि परिपत्र को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0सी0 लाल)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

माई कम्प्यूटर/डी/बैक आप माई डाक्यूमैण्ट/पेंशन/lalsir